रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1238] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2018/चैत्र 5, 1940
No. 1238] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2018/CHAITRA 5, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2018

का.आ. 1370(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 38 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित संगठनों की प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशाकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) उक्त अधिनियम के उपबंधों से छूट प्रदान करता है, अर्थात् :-

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ;

(ii) राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) ;

(iii) कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की संस्थाएं ;

(iv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ; और

(v) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)।

2. पैरा 1 में निर्दिष्ट ऊपरी छूट अनुसंधान और विकास क्रिया-कलापों तथा रजिस्ट्रीकरण सम्बद्ध आंकड़ा सृजन के लिए किसी कैलेन्डर वर्ष में दस किलोग्राम तक कीटनाशी या नाशक जीवमार आयात करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् :-

(i) प्रयोगशालाओं के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इस अधिसूचना से उपाबद्ध रूपविधान में यथाविनिर्दिष्ट आयात के ब्यौरों के बारे में केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति को सूचित करेगा ;

(ii) प्रयोगशाला, कीटनाशी या नाशक जीवमार की आयातित मात्रा से किए गए अनुसंधान और विकास कार्य के बारे में सूचित करेगी।

(iii) प्रयोगशालाएं एक वचन देगी कि कीटनाशी या नाशक जीवमार की आयातित मात्रा का प्रयोग केवल अनुसंधान और विकास क्रिया-कलापों तथा रजिस्ट्रीकरण सम्बद्ध आंकड़ा सृजन के लिए ही किया जाएगा और वाणिज्यिक

क्रिया-कलापों के लिए किसी भी रीति में प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिसके न करने पर प्रयोगशालाएं कीटनाशी अधिनियम, 1968 तथा कीटनाशी नियम, 1971 के उपबंधों के अधीन अभियोजित किए जाने के दायी होंगे ।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 13035/01/2018-पीपी-I]

बी. राजेन्दर, संयुक्त सचिव

उपाबंध

अनुसंधान और विकास प्रयोजन के लिए आयात के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

1. आयातकर्ता का पूरा पता सहित नाम :

2. विदेशी विनिर्माता और प्रदायकर्ता का नाम :

3. रसायन का नाम :

(i) कोड संख्या, यदि कोई हो :

(ii) सामान्य स्वीकृत नाम :

(iii) रसायन का नाम और विनिर्माण तथा समाप्ति की तारीख सहित बैच संख्या :

(iv) क्या कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में सम्मिलित है या नहीं :

4. (क) विषाक्तता (एलडी-50 मान) :

(i) मुखवर्ती प्रयोगशाला :

(ii) चर्मी पशु :

(ख) क्या देश में इसका विनिर्माण, विक्रय, वितरण या प्रयोग प्रतिषिद्ध है या नहीं या इस पर कोई निर्बंधन अधिरोपित किया गया हैं, यदि हां, तो कृपया पूर्ण ब्यौरे दें :

5. मुख्य सक्रिय समूह, जिससे रसायन सम्बन्धित है :

6. विनिर्दिष्ट प्रयोजन, जिसके लिए रसायन अपेक्षित है :

7. फसल या नाशक जीव, जिनके सम्बन्ध में इसका परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है :

8. (क) संस्था का नाम, जहां देश में इसका परीक्षण किया जाना है:

(ख) व्यक्ति का नाम और पदाभिधान, जिसके पर्यवेक्षण में परीक्षण किए जाने हैं :

9. आयातित मात्रा :

10. पैकिंग का प्रकार :

11. उतराई या प्रवेश का पत्तन :

12. आयातित रसायन का मूल्य (रुपए में) :

13. क्या देश में जांच, विश्लेषण, परीक्षा या परीक्षण पहले से ही किए जा रहा है और यदि हां, तो कृपया ब्यौरे दीजिए :

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

IndiaCode

सत्यापन

मैं,.....पुत्र.....निवासी.....अपनी हैसियत से.....के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता.....के रूप में सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं और मैं उपरोक्त आवेदन पर हस्ताक्षर करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान : हस्ताक्षर.....

तारीख : नाम.....

संस्थान/संगठन की मुद्रा

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2018

S.O. 1370(E).—In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 38 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby exempts the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited laboratories of the following organizations shall be exempted from the provisions of said Act, namely:-

i. Indian Council for Agricultural Research (ICAR);

ii. State Agriculture Universities (SAU's);

iii. Institutions of Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare;

iv. Department of Science and Technology (DST); and

v. Department of Scientific and Industrial Research (DSIR).

2. The above exemption referred to in paragraph 1 shall be for the purpose of importing insecticides or pesticides to the tune of up to ten kilograms in a calendar year, for Research and Development activities and registration related data generation, subject to following conditions, namely: -

i. The authorized signatory of the laboratories shall inform the Central Insecticides Board & Registration Committee regarding the import details as specified in the format annexed to this notification.

ii. The laboratory shall inform about the Research & Development work carried out with the imported quantum of insecticides or pesticides.

iii. The laboratories shall give an undertaking that the imported quantity of insecticides or pesticides shall be used only for research and development activities and registration related data generation and shall not be used in any manner for commercial activities, failing which the laboratories shall be liable to prosecuted under the provisions of Insecticides Act, 1968 and the Insecticides Rules, 1971.

3. This notification shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

[F. No. 13035/01/2018-PP-I]

B. RAJENDER, Jt. Secy.

Annexure

FORM FOR SUBMISSION OF DETAILS OF IMPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT PURPOSE

1 Name of Importer with full Address:

2. Name of overseas manufacturer and the supplier:

3. Name of Chemical:

(i) Code Number, If any:

(ii) Common accepted name:

(iii) Chemical name and batch number with manufacturing and expiry date:

(iv) Whether included in the Schedule to the Insecticides Act, 1968:

4(a) Toxicity (LD 50 value):

(i) Oral Laboratory:

(ii) Dermal animals:

(b) Whether manufacture, sale, distribution or use is prohibited in the country of its manufacture or any restrictions have been imported thereon, if so, please give full details:

5. Main active group to which the chemical belongs:

6 Specific purpose for which the chemical required:

7. Crops or pests against which this is proposed to be tested:

8 (a) Name of Institution where it is to be tested in the country:

(b) Name and designation of the person under whose supervision tests are to be conducted:

9. Quantity imported:

10. Type of packing:

11. Port of landing or entry:

12. Value in Rupees of the imported Chemical:

13. Whether any examination, analysis, tests or trials are already being carried on in the country and if so, please give details:

Signature of the applicant:_____

Name of the applicant :_____

IndiaCode

VERIFICATION

I, _____ S/o Shri _____ resident of _____ do hereby verify in my capacity as _____ authorized signatory of _____ that the particular given above are true and correct and that I am competent to sign and verify the above application.

Place : _____

Date: _____

Signature_____

Name_____

Seal of the Institute/Organization

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.27 16:25:01 +05'30'